

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 510/2022
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

गगनदीप सिंह पुत्र श्री गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी संगत कला तहसील
व जिला बठिण्डा(पंजाब)

- वादी

बनाम्

- बलजिन्द्र कौर उर्फ पुनी पुत्री श्री दलीप सिंह पत्नी श्री गुरदास सिंह जाति
जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद
संगत कला तहसील व जिला बठिण्डा(पंजाब)
- नवदीप सिंह पुत्र श्री गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद संगत कला तहसील व जिला
बठिण्डा(पंजाब)
- हरप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद संगत कला तहसील व जिला
बठिण्डा(पंजाब)
- तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 19.10.2022

वादी गगनदीप सिंह ने प्रतिवादीगण बलजिन्द्र कौर वगैरा के
विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह
कि प्रतिवादीया सं. 1 वादी की माता तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 वादी के भाई
हैं जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2
व 3 की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 12 बी.
जी.पी. के खाता सं. 95/82 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 3.543 है. कृषि
भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित
प्रतिलिपि सलंगन वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि
भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि
भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि
भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारा अनुसार दर्ज नहीं होने के कारण

लगातार --2

2
19/10

रमेश देव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त कृषि भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:-



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

वादी गगनदीप सिंह पुत्र श्री गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी संगत कला तहसील व जिला बठिण्डा(पंजाब) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 95/82 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में 3.543 है. कृषि भूमि में से 2.278 है. कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादीया सं. 1 बलजिन्द्र कौर उर्फ पुनी पुत्री श्री दलीप सिंह पत्नी श्री गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद संगत कला तहसील व जिला बठिण्डा(पंजाब) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 95/82 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में 3.543 है. कृषि भूमि में से 1.265 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 व 3 क्रमशः नवदीप सिंह एवं हरप्रीत सिंह पुत्रगण श्री गुरदास सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद संगत कला तहसील व जिला बठिण्डा(पंजाब) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 95/82 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में 3.543 है. कृषि भूमि में से 2.278 है. कृषि भूमि में से 2/3 हिस्सा कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 4 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 95/82 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र. सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य हैं तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 95/82 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 3.543 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विरासतन साक्ष्य के तौर पर तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 95/82 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की जमाबन्दी की प्रति पेश की। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति का जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील

लगातार --4

2/19/10
महायक क्लर्क एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 95/82 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में 3.543 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 2.278 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।




सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

नोट: यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.10.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 510/2022



सत्यमेव जयते

Web Copy Not Official

गगनदीप सिंह पुत्र श्री गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी संगत कला तहसील व जिला बठिण्डा(पंजाब)

बनाम्

1. बलजिन्द्र कौर उर्फ पुनी पुत्री श्री दलीप सिंह पत्नी श्री गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद संगत कला तहसील व जिला बठिण्डा(पंजाब)
2. नवदीप सिंह पुत्र श्री गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद संगत कला तहसील व जिला बठिण्डा(पंजाब)
3. हरप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद संगत कला तहसील व जिला बठिण्डा(पंजाब)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 19.10.2022

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 12 बी. जी.पी. के खाता सं. 95/82 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 3.543 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 2.278 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निजX..... निलX..... मुब्लिकX.....निलX..... बाबतX.....
निल.....X..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकX.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 19.10.2022 को जारी किया जाता है।

19/10/22
(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया